जोधपुर. शुक्रवार. 17.07.2015 राजस्थान पत्रिका

बिंजोलाई स्थित महल में होटल संचालन को हाईकोर्ट की क्लीन चिट

जोधपुर @ पत्रिका . राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश गोविन्द माथुर व न्यायाधीश जयश्री ठाकुर की खण्डपीठ ने कायलाना पहाड़ियों के वन क्षेत्र में स्थित बिंजोलाई महल की संपत्ति को पूर्व राजघराने के कोवेनेंट का भाग मानते हुए एक जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने से मुक्त कर दिया है। यह आदेश खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता पूर्व विंग कमांडर के.के. शाह की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई में दिए, जिसमें कायलाना की पहाड़ियों पर स्थित एयरफोर्स के राडार क्षेत्र में हुए अतिक्रमण व वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कराने का अनुरोध किया गया था। गत सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि कायलाना के वन क्षेत्र स्थित बिंजोलाई महल में कॉमर्शियल गतिविधियां जारी रखते हुए एक होटल का संचालन किया जा रहा है, जिसे बंद कराया जाए। इस पर होटल संचालन करने वाले महाराजा हनवंत सिंह चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुनवाई में पक्षकार बनने का आवेदन पेश करते हुए अधिवक्तालेखराज मेहता व रमित मेहता ने कहा था कि उक्त संपत्ति वन विभाग के तहत नहीं आती। इस पर खण्डपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह को अगली सुनवाई में इस बारे में शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए थे।